१३-०९-१९

टी०ए० मिस केस सं० 48/2019-20

आदेश | अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक प्रकाश चन्द्र सावैयाँ, पिता– स्व० रमाय सावैयाँ ग्राम– गितिलपी, थाना– मुफ्फासिल जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– गितिलपी, थाना– 580, खाता नं०– 62, प्लॉट नं०–1108, रकवा– 0.07½ एकड़ भूमि क्रेता कुन्ती सामड, पति– स्व० खगेश चन्द्र सामड, ग्राम– आयता, थाना– मुफ्फासिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संवंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर खातियान में दर्ज है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 589, दिनांक–. 31.8.2019 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पक्का मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता कुन्ती सामड, पति– स्व० खगेश चन्द्र सामड, ग्राम– आयता, थाना– मुफ्फासिल, के पास० 3,34,000,00/–(तीन लाख चौतीस हजार) रूपये में विक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफ्फासिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक प्रकाश चन्द्र सावैयाँ, पिता– स्व० रमाय सावैयाँ, ग्राम– गितिलपी क्रेता कुन्ती सामड, पति– स्व० खगेश चन्द्र सामड, ग्राम– आयता, थाना– मुफ्फासिल के पास 3,34,000,00/–(तीन लाख चौतीस हजार) रूपये मे मौजा– गितिलपी, थाना– 580, खाता नं०– 62, प्लॉट नं०– 1108, रकवा– 0.07½ एकड़ भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की.....अनुमति.....दी जाती है।

लेखापित।

13/9

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

13/9/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।